

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध नदिशालय का होगा गठन

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में आर्थिक अपराधों की रोकथाम और राजस्व के स्रोतों पर अधिक मजबूती से नगिरानी रखने के लिये राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध नदिशालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- राज्य स्तर पर नदिशालय का नोडल व प्रशासनिक विभाग वित्त (राजस्व) विभाग होगा।
- नदिशालय के प्रमुख कार्य-
- नदिशालय द्वारा आर्थिक अपराधों के नियंत्रण, अनुसंधान, जांच व अभियोजन के कार्य किये जाएंगे।
- इसमें भूमि पर अवैध कब्जा करने, रियल एस्टेट में धोखाधड़ी या अनियमितता करने, बैंक, बीमा या जमापूंजी संबंधी कार्य में धोखाधड़ी या अनियमितता करने, झूठा दवालयिपन घोषित करने, फर्जी कंपनियों का गठन करने, सरकारी साख समितियों के कार्य में धोखाधड़ी करने वालों पर शक्ति का कसा जाएगा।
- साथ ही, राज्य में राजस्व रसाव की विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त कर उनका विश्लेषण एवं अन्वेषण किया जाएगा। राजस्व के समस्त स्रोतों पर नगिरानी रखने तथा कर अपवंचना को रोकने संबंधी कार्य भी किये जाएंगे।
- नदिशालय में महानदिशक/आयुक्त का एक पद, अतिरिक्त नदिशक के चार पद, संयुक्त नदिशक के 10 पद, उप नदिशक के 20 पद सृजित होंगे। यह पद प्रतनियुक्त से भरे जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में राज्य राजस्व आसूचना नदिशालय पहले से ही संचालित है। वहीं, बजट 2022-23 में आर्थिक अपराध नदिशालय की घोषणा की गई थी। अब दोनों का सम्मिलन करने से मानव संसाधन तथा अपराधों की जांच में भी विश्लेषणात्मक क्षमता का समुचित उपयोग हो सकेगा।